

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपारान जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)
 (पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान... तुरकिया खुर्द

दिनांक :- 29/05/2023

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" धार्थना पत्र एवं पटवारी तुरकिया खुर्द व अभिलेख निरीक्षक निगवाहेड़ा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपारान की अनुमति के आधार पर राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार ग्राम तुरकिया खुर्द तहसील कपारान जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075 (वर्ष 2018) से स्थानीय में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंतिम आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>तुरकिया खुर्द</u>	2	<u>बोतु पुत्र तुलसीराम</u> <u>दिसा - 1/5 जाति - कुम्हार</u> <u>सा. देह खोतेदार</u>	<u>बोतुलाल पुत्र</u> <u>तुलसीराम</u> <u>जाति - कुम्हार</u> <u>सा. देह - खोतेदार</u>

क्रमांक / 83

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, कपारान को भजे कर लेख में कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंतिम आदेश दिये जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री बोतुलाल पुत्र तुलसीराम जाति - कुम्हार को सूचनाएं।
3. रक्षित पत्रावली।

(AS)
 पीठासीन अधिकारी का
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपारान जिला चित्तौड़गढ़
 दिनांक 29/05/2023

(AS)
 पीठासीन अधिकारी का
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपारान जिला चित्तौड़गढ़